न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी :- सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 87/2011
उनवानी प्रकरण बमुक: 1- पूरन } पुत्रगण बेदरिया
2- दिवारी लाल
3- जावित्रा-विधवा } पि. फगुनी
4- लौहरे - पुत्र
} अवलाम जादव निवासी ग्राम शाला-चंगौरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर
--- वादीगण

बनाम

1- कुँसिया पुत्र अंगना जाति जादव "फौत"
2- तोता
3- लोकमन } पुत्रगण अंगना जाति जादव नि. ग्राम सामौर तह. राजाखेड़ा
4- कम्मोद पुत्र अंगना जाति जादव नि. ग्राम सामौर हाल आबाद ग्राम बिपरपुर तहसील मनियाँ जिला धौलपुर
5- हरीसिंह पुत्र हुकमे जाति जादव निवासी ग्राम सामौर तहसील राजाखेड़ा - धौलपुर
6- मुकेश पुत्र पातीरिया जाति जादव निवासी ग्राम बिपरपुर तहसील मनियाँ जिला धौलपुर
7- श्यामो पुत्री पातीरिया पत्नी जाति जादव नि. ग्राम हुववारी तहसील राजाखेड़ा
8- वीधाराम पुत्र फगुनी जाति जादव निवासी ग्राम सामौर तहसील राजाखेड़ा।
9- रजजो पुत्री फगुनी पत्नी रमजी जाति जादव निवासी ग्राम रवरगपुर तहसील सैंपऊ
10- लौहरी पुत्री फगुनी पत्नी बनवारी जाति जादव निवासी ग्राम चौधरीपुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर
11- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा
--- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः --- 2

उपस्थिति !

श्री विनोद भार्गव एड०, वादीगण

प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक :- 23-12-2019

वादीगण ने यह वाद इस न्यायालय में इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम नसीलपुर तहसील राजाखेड़ा स्थित आराजी ख० नं० वर्तमान 494 रकबा 03बीघा 07बिस्वा साबिक नम्बर 402 रकबा 03बीघा 15 बिस्वा को वादीगण के पिता बेदरिया ने सम्वत 2015 में तत्कालीन जमीदारान से काश्त हेतु हासिल की थी। सम्वत 2016 अर्थात सन 1959 में भी बेदरिया बतौर कृषक विवादित आराजी पर काबिज था। जिस कारण बेदरिया को राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 सपठित धारा 30 राज० जमींदारी एव बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। बेदरिया का देहान्त हो गया है। वादीगण उसके वारिस हैं, तथा विवादित आराजीयात पर बतौर खातेदार कृषक काबिज हैं। सम्वत 2015 के पश्चात प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्व पुरुष अंगना का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा, लेकिन राजस्व अभिलेखो में उनके नाम की प्रविष्टियाँ चली आ रही हैं जो अवैध एव विधि विरुद्ध हैं। जिसका नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादीगण वादीगण के हकूकों पर आक्षेप करते हैं तथा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के लिए स्वत्व घोषणा का एव प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है तथा वाद पत्र के अन्त मे दावा डिक्री किये जाने बावत निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आये अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पेशकार सरकार द्वारा तरतीबी प्रतिवादी होने के कारण कोई जवाब दावा पेश नही किया गया।

ण्ड अधिकारी
खेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः-3

वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम नसीलपुर सम्वत 2065-68 प्रदर्श-1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी (खेवट) सम्वत 2017-20 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2021-24 प्रदर्श-4, नकल खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श-5, नकल खसरा गिरदावरी स. 2014-17 प्रदर्श-6, नकल खसरा गिरदावरी सं. 2018-20 प्रदर्श-7, नकल खसरा गिरदावरी सं. 2021 प्रदर्श-8 पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य में बयान गिरधारीलाल PW-1 तथा बयान गवाह अशोक कुमार PW-2 कराये गये हैं अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण एकपक्षीय सुनी गयी। वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित समस्त तथ्यो एवं कथनो को दोहराया तथा तर्क दिया कि प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से विवादित आराजी पर बेहरिया का सम्वत 2014 से कृषक होना साबित होता है। जिस कारण वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 30 के तहत खातेदार हो जाता है परन्तु राजस्व अभिलेखो में उसका नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज नहीं किया गया है तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम चलता आ रहा है। उनका यह भी तर्क है कि राजस्व अभिलेखो के इन्द्राजात किसी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए अब वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा RRD 1981 पृष्ठ 17 की कानूनी नजीर पेश की।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस वकील वादीगण पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख०न० 402 का नवीन नम्बर ख.न. 495 बनना साबित है। प्रस्तुत राजस्व अभिलेखो के अनुसार बेहरिया का नाम विवादित आराजी पर बतौर कृषक सम्वत 2014 से अंकित है। राज० काश्तकारी अधिनियम सम्वत-2012 अर्थात सन 1955 से प्रभावी हुआ तथा राज० जमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम सं. 2016 अर्थात सन 1959 में प्रभावी हुआ। इस सम्बन्ध में विद्वान

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

अभिभावक वादीगण के तर्कों को देखा जावे तो, राज० जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 30 यह स्पष्ट करती है कि जो कृषक, उपकृषक अथवा खुदकाश्त कृषक नहीं है वह इस अधिनियम के तहत राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत खातेदार कृषक होगा। जब हम राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 का अवलोकन करते हैं तो उसमें दिये गये प्रावधान अनुसार उपकृषक अथवा खुदकाश्त कृषक के अलावा जो कृषक राज० काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय कृषक थे अथवा उसके पश्चात उन्हें कृषक के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो खातेदार कृषक होंगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादीगण के पूर्व प्रकृति बेदरिया का सम्वत 2014 से कृषक होना साबित होता है, जिससे वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 सहपठित धारा 30 राज० जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम विवादित आराजी के खातेदार कृषक हो जाते हैं। वादीगण ने अपनी साक्ष्य से अपना कब्जा भी बखूबी साबित किया है। स्वतंत्र गवाह अशोक कुमार के बयान से भी कब्जा साबित होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा वाद का विरोध न करना भी दर्शाता है कि उन्हें विवादित आराजी में कोई रुचि नहीं है। इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार इस दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी ख० नं० 595 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा स्थित ग्राम नसीलपुर तहसील राजाखेड़ा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेखों में उक्त आराजी पर वादीगण के इन्द्राजात दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें। राजस्व अभिलेखों में तदनुसार इन्द्राजात किये जावें। पश्चात डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार गोयल)
आर.ए.एस.
... राजाखेड़ा